OFFICE OF THE COMPTROLLER
RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, (RAJUVAS) BIKANER

No: F.21 / RAJUVAS / (COMP. / PUR.)2025 - 26/ 122 **Dated: - 27.09.2025**

कार्यालय आदेश

माननीय कुलगुरु, महोदय के निर्देशानुसार राजस्थान पशु चिकित्सा ओर पशु विज्ञान विश्वविद्यालय एवं अधीनस्थ इकाईयों में दो वर्ष की अवधि के लिए सुरक्षा व्यवस्था कार्य हेतु गठित कमेटी की अनुशंसा अनुसार **M/S Gajender Enterprises, Fatipura, Bhutton Ka Bas, Bikaner.** की दरें निविदा में वर्णित शर्तों के अनुसार अनुमोदित की जाती है:-

1	2	3	4
क.स.	विवरण	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दर (8 घंटे हेतु)	सेवाप्रदाता का सर्विस चार्ज राशि (रुपये) प्रति सुरक्षा प्रहरी प्रतिदिन (8 घंटे हेतु)
1.	सुरक्षा प्रहरी (कुशल) (8 घंटे हेतु प्रति दिन प्रति प्रहरी) सुरक्षा व्यवस्था हेतु सेवाप्रदाता के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था उपापन का कार्य	रुपये 309/- प्रति सुरक्षा प्रहरी प्रति दिन (8 घंटे हेतु)	रुपये 1.00

नोट–कॉलम सख्या 03 में अंकित की गई दर पर EPF13.00% and ESI 3.25% विश्वविद्यालय द्वारा सेवाप्रदाता एजेन्सी को भुगतान देय होगा। उक्त दर के अलावा सेवाप्रदाता एजेन्सी के सुरक्षा कार्य के प्रस्तुत बिल पर नियमानुसार GST का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा निविदा में वर्णित शर्तों के अनुसार किया जायेगा।

निविदा की शर्ते

1. सुरक्षा कार्य हेतु दर अनुबंध, अनुबंध पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से दो वर्ष के लिये मान्य होगी, जिसे कार्य सन्तोषजनक की स्थिति में आपसी सहमति से नियमानुसार बढाया जा सकता है।

2. प्रत्येक सुरक्षा पोइन्ट (स्थान) पर सुरक्षा प्रहरीयों को पूरे दिन (24 घण्टे) उपस्थित रहना आवश्यक होगा। सुरक्षा पोइन्ट (स्थान) सुरक्षा अधिकारी द्वारा तय किये जावेगें व सुरक्षा प्रहरी को उन्ही के निर्देशानुसार कार्य करना होगा।

3. (i). सुरक्षा प्रहरीयों का कार्य एक दिवस में 3 पारियों में होगा। प्रत्येक पारी 8 घण्टे की होगी तथा कोई भी प्रहरी एक दिन में दोहरी डयूटी नही करेगा।
   (ii) यदि किसी सुरक्षा पोइन्ट पर एक अथवा दो पारी ही आवश्यक है, तो तद्नुसार सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी।

4. सुरक्षा प्रहरी से 8 घण्टे से अधिक कार्य नही लिया जावेगा।

5. उपलब्ध करवाये जाने वाले सुरक्षा प्रहरी को छबीस दिन प्रतिमाह के कार्य दिवस अनुसार पारिश्रमिक देय होगा।

6. सुरक्षा प्रहरीयों के लिए आवास की व्यवस्था विश्वविधालय द्वारा उपलब्ध नहीं करवायी जावेगी।

7. महाविधालय के कन्या छात्रावास में एवं अन्य स्थान पर आवश्यकता होने पर महिला सुरक्षा प्रहरी लगाना आवश्यक है।

8. सुरक्षा प्रहरियों का समय समय पर भौत्तिक निरिक्षण, आवश्यकता होने पर विडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी द्वारा किया जावेगा।

9. सेवाप्रदाता ऐजन्सी द्वारा सुरक्षा प्रहरी को राज्य सरकार के श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा। सेवाप्रदाता यह सुनिश्चित करेगी कि **अनुंबध की अवधि में श्रम कानून की पूर्णतः पालना नही होने स्थिति में निविदा निरस्त कर दिया जायेगी।**

10. सुरक्षा प्रहरी को मासिक भुगतान प्रत्येक माह की 7 तारिख तक करना अनिवार्य होगा। मासिक भुगतान, EPF तथा ESI के भुगतान का साक्ष्य प्रस्तुत करने पर ही संबंधित सेवाप्रदाता को मासिक भुगतान किया जायेगा।

11. सुरक्षा प्रहरियों हेतु अनुमोदित फर्म से अनुबंध होने के पश्चात भी सुरक्षा प्रहरियों की संख्या में आवश्यकता अनुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है।

12. उपलब्ध करवायी जा रही सेवाओं हेतु रखे गये सुरक्षा प्रहरियों हेतु राज्य/केन्द्र सरकार या इनके अधीनस्थ विभागों की पी.एफ., ई.एस.आई. या अन्य कोई राशि देय होती है तो उसका भुगतान सेवाप्रदाता द्वारा ही किया जाएगा एवं जीएसटी संबधित विभाग में जमा कराने की जिम्मेदारी सेवाप्रदाता की होगी। गत भुगतान के दस्तावेज आगामी भुगतान से पूर्व संबंधित सुरक्षा प्रभारी अधिकारी/भुगतान कर्ता अधिकारी को प्रस्तुत करने होगें।

13. सेवाप्रदाता के सुरक्षा कार्य हेतु प्रस्तुत प्रथम बिल भुगतान को संबधित यूनिट द्वारा **"रिस्क कवरेज"** के रूप में जमा किया जावेगा। इस राशि का भुगतान बिना ब्याज सन्तोषजनक सेवा अवधि पूर्ण होने के पश्चात किया जावेगा।

14. सेवाप्रदाता सेवाओं को किसी अन्य को हस्तान्तरित या सबलेट नहीं कर सकेगा अन्यथा उसके अनुबंध को निरस्त कर **निविदा सुरक्षा राशि व रिस्क कवरेज जब्त** कर ली जावेगी।

15. सुरक्षा प्रहरी को समय समय पर केन्द्र/राज्य सरकार आदि के अन्तर्गत देय न्यूनतम पारिश्रमिक/वेजज, सवैतनिक अवकाश एंव अन्य वैधानिक भुगतान की समस्त जिम्मेदारी भी सेवाप्रदाता की ही होगी व विश्वविद्यालय आवश्यकता पड़ने पर कभी भी आवश्यक दस्तावेजों की मांग कर सकता है। जो उपलब्ध कराने होगें।

16. सेवाप्रदाता द्वारा समय पर सुरक्षा प्रहरी को उपलब्ध नहीं करवाने की स्थिति में नियमानुसार आर्थिक क्षतिपूर्ति की वसूली प्रति शिफ्ट राशि का 110 प्रतिशत के आधार पर कार्यालय द्वारा मासिक बिल से वसूल की जावेगी।

17. कार्य निष्पादन हेतु अनुमोदित राशि का भुगतान सेवाप्रदाता को ही किया जावेगा। सेवाप्रदाता द्वारा नियुक्त सुरक्षा प्रहरी इस कार्यालय से किसी भी प्रकार के भुगतान दावा मांगने के अधिकारी नहीं होंगे। समस्त दावे या भुगतान सेवाप्रदाता द्वारा ही देय होंगे।

18. सेवाप्रदाता द्वारा विश्वविद्यालय/संबधित यूनिट में अपना एक सुपरवाईजर लगाना होगा, जो कि नियमित रूप से सुरक्षा प्रहरी की उपस्थिति का रिकार्ड रखेगा तथा प्रतिदिन कार्य निरीक्षण करने के उपरान्त समय–समय पर संबंधित सुरक्षा प्रभारी अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। सुपरवाईजर का खर्चा सेवाप्रदाता द्वारा ही वहन किया जावेगा।

19. सुरक्षा कार्य हेतु सुरक्षा प्रहरी को मौसमानुसार (गर्मी व सर्दी के अनुरूप) निंधारित गणवेश, कैप, टॉर्च, लाठी व अन्य सभी प्रकार का सामान सेवाप्रदाता द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा। इसके लिये सेवाप्रदाता को कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।

20. किसी भी सुरक्षा प्रहरी के कार्य छोड़ने की स्थिति में भी सेवाप्रदाता को तुरन्त दूसरा सुरक्षा प्रहरी उपलब्ध करवाना होगा।

21. सेवाप्रदाता के माध्यम से लगाये गये सुरक्षा कर्मी को आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय परिसर के किसी भी सुरक्षा पाइन्ट पर लगाया जा सकता है।

22. सुरक्षा कार्य हेतु सेवाप्रदाता यह सुनिश्चित करेगी कि सुरक्षा कार्य हेतु नियुक्त प्रहरी की आयु 21 से 60 वर्ष तक ही होनी चाहिए।

23. सेवाप्रदाता द्वारा उपलब्ध करवाये गये सुरक्षा प्रहरियों का स्वस्थ होना आवश्यक है। सुरक्षा प्रहरी की Eye Side तथा Hearing पर सन्देह पाये जाने पर मेडिकल करवाया जायेगा। सुरक्षा मापदण्डों के सन्दर्भ में स्वास्थ विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र संबधित सुरक्षा प्रभारी को प्रस्तुत करना होगा । उक्त प्रमाण पत्र वाले व्यक्ति की ही सेवा, सेवाप्रदाता द्वारा सुरक्षा प्रहरी के रूप में सेवायें उपलब्ध करवायी जावेगी।

24. उपलब्ध करवाये गये सुरक्षा प्रहरी के किसी गैर जिम्मेदाराना या गैर कानूनी कार्य (जैसे चोरी, अश्लीलता, नशा, जुआ आदि) में लिप्त पाये जाने पर उस सुरक्षा कर्मी की पूर्ण जिम्मेदारी सेवाप्रदाता की होगी। ऐसे सुरक्षा प्रहरी के विरूद्ध की गयी किसी प्रकार की कार्यवाही या कानूनी कार्यवाही पर देय क्षतिपूर्ति का भुगतान भी सेवाप्रदाता द्वारा ही देय होगा।

25. सेवाप्रदाता एजेन्सी यह सुनिश्चित करेगी कि सुरक्षा प्रहरी हेतु उपलब्ध करवाये जा रहे व्यक्ति का चाल–चलन व चरित्र अच्छा हो।

26. सेवाप्रदाता द्वारा उपलब्ध करवाये जा रहे सुरक्षा प्रहरियों की सूची संबधित प्रभारी सुरक्षा व्यवस्था को उपलब्ध करवानी होगी जिसमें निम्न प्ररूपानुसार पूर्ण जानकारी देनी होगी :–

क्र. सं	सुरक्षा प्रहरी का नाम	पूर्ण पता	मोबाइल / दूरभाष नं.	आधार कार्ड नं.	बैंक का नाम व ब्रान्च	खाता संख्या	नवीनतम फोटो
	2	3	4	5	6	7	8

27. सभी सुरक्षा प्रहरियों का बैंक में खाता होना अनिवार्य है। किसी सुरक्षा प्रहरी के अनुपस्थित रहने या उसका कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर सेवाप्रदाता द्वारा उसके स्थान पर यथाशीघ्र दूसरे सुरक्षा प्रहरी को लगाना होगा।

28. सेवाप्रदाता एजेन्सी को प्रत्येक सुरक्षा कर्मी को **"परिचय पत्र"** आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाना होगा जिसमें सुरक्षा कर्मी की नवीनतम फोटो, नाम, पूर्ण पता, मोबाईल नम्बर व आधार नम्बर एवं परिचय पत्र जारी करने की तीरीख मय मोहर अंकित करवाकर, जिसको विश्वविद्यालय के सुरक्षा प्रभारी द्वारा प्रमाणित करावाना आवश्यक होगा ।

29. कार्यादेशों / अनुबंध की शर्तो को भंग करने या संविदा के संतोषजनक ढ़ग से पूरा न करने पर क्रेता अधिकारी द्वारा पूर्ण या अंशतः प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी। इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

30. सेवाप्रदाता को सुरक्षा व्यवस्था कार्य हेतु प्रति सुरक्षा प्रहरी प्रति दिन (8 घंटे) हेतु कार्य करना होगा।

31. सुरक्षा व्यवस्था हेतु कार्य Annexure-I के अनुसार ही होगे। Annexure-I में वर्णितानुसार सुरक्षा एरिया में सेवाप्रदाता को सुरक्षा प्रहरी उपलब्ध करवाने होंगे।

32. सुरक्षा एरिया में किसी भी प्रकार की चोरी हुए सामान/नुकसान की भरपाई सेवाप्रदाता को करनी होगी। चोरी हुए सामान/नुकसान की कीमत कमेटी द्वारा तय की जावेगी, जिसकी कीमत सेवाप्रदाता से वसूल की जावेगी।

33. श्रम विभाग एवं लेबर एक्ट आदि के तहत समस्त कानूनी उत्तरदायित्व सेवाप्रदाता का होगा।

34. महाविद्यालय द्वारा सुरक्षा प्रहरी को देय राशि/EPF/ESI/GST/ग्रुप बीमा एवं अन्य करों तथा सुरक्षा प्रहरी की आपुर्ति के लिये देय प्रीमियम का भुगतान सेवाप्रदाता को किया जावेगा। सेवाप्रदाता द्वारा सुरक्षा प्रहरी को देय भुगतान में से PF/EPF and ESI के पेटे उसके अंशदान को कम करते हुए भुगतान सुरक्षा प्रहरी के बैक खाते में विश्वविद्यालय द्वारा पेमेन्ट जारी करने से अगले सात दिवस में आवश्यक रूप से जमा करना होगा। इसी प्रकार सुरक्षा प्रहरी के भुगतान में से काटे गये PF/EPFand ESI आदि के साथ विश्वविद्यालय द्वारा PF/EPFand ESI आदि की प्रति संबंधित प्रभारी का प्रस्तुत करनी होगी। सेवाप्रदाता को अगले माह का भुगतान पूर्व माह हेतु सुरक्षा प्रहरी के PF/EPFand ESI आदि के जमा करवाने के चालान की प्रति प्राप्त होने के पश्चात ही किया जावेगा। विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये GST को राजकोष में जमा करवाकर चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ आवश्यक रूप से प्रस्तुत करनी होगी। उक्त के संबंध में होने वाले सभी प्रकार के दायित्वों का निर्वहन का उत्तरदायित्व सेवाप्रदाता एजेन्सी का होगा।

35. सुरक्षा प्रहरी द्वारा EPF and ESI की कटौती करवानी अनिवार्य होगी।

36. वर्तमान में EPF कटौती में सुरक्षा प्रहरी का हिस्सा 12 प्रतिशत (मजदूरी का) एवं सेवाप्रदाता का 13.00 प्रतिशत (मजदूरी का) अर्थात कुल 25.00 प्रतिशत सुरक्षा प्रहरी के EPF खाते में प्रतिमाह जमा करवाना अनिवार्य है। इसी भांति सुरक्षा प्रहरी का हिस्सा ESI में 0.75 प्रतिशत एवं 3.25 प्रतिशत नियोक्ता का हिस्सा कुल 4.00 प्रतिशत (अंशदान) (मजदूरी का) संबंधित सुरक्षा प्रहरी के खातें में जमा करवाना अनिवार्य होगा। यदि इस प्रावधान में संबंधित अधिनियम द्वारा काई संशोधन किया जाता है, तो सेवाप्रदाता उसकी पालना हेतु बाध्य होगा। किसी दुर्घटना या घटना के घटित होने पर कोई क्षतिपूर्ति आदि देय नही होगा तो उसकी जिम्मेवारी सेवाप्रदाता की होगी। महाविद्यालय द्वारा कोई दावा नही दिया जावेगा Note-(1) EPF and ESI की कटौती में राज्य सरकार के आदेशानुसार कमी/वृद्धि की जा सकेगी।

37. न्यूनतम मजदुरी अधिनियम 1948 (केन्द्रिय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित सेवाप्रदाता/संवेतक का होगा। वित्त (G&T)विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र संख्या 1/2018 कमांक एफ.2(1) वित्त/एस.पी.एफ.सी./2017 दिनांक 30.04.2018 के प्रावधानों का पालना सेवाप्रदाता को करनी होगी।

38. सेवाप्रदाता को नियमानुसार अनुमोदित दर के आधार पर सम्पूर्ण कार्य के **दो वर्ष की राशि का 5% कार्यसम्पादन प्रतिभूति राशि (Bid Performance Security) के रूप में** जमा करानी होगी तथा नियमानुसार नॉन ज्यूडिशियल स्टाप पर 07 दिवस के अन्दर अन्दर अनुंबध प्रस्तुत करना होगा।

39. सेवाप्रदाता द्वारा कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि व अनुबंध पत्र निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करनी होगी

40. सेवाप्रदाता से अनुबंध करने से पूर्व उनके मूल लाइसेन्स का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापन (Verification) किया जाएगा।

41. सेवाप्रदाता को अनुबंध के साथ विश्वविद्यालय में एक अंडरटेकिंग (100 रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टेंप पेपर पर) अनिवार्य रूप से जमा करानी होगी कि सुरक्षा प्रहरी को नियमानुसार राशि सीधे सुरक्षा प्रहरी के बैंक खातें में जमा करवाकर **कार्य बिल प्रतिमाह प्रथम कार्य दिवस** पर प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

42. प्रस्तुत किए गए बिलों से वैधानिक कटौतियॉ टी.डी.एस., जी.एस.टी. व अन्य टैक्स की वसूली नियमानुसार की जाएगी।

43. राज्य सरकार या उसके अधीनस्थ विभाग न्यूनतम दरो में कमी/वृद्धि करते हैं या अन्य कोई कर/कटौती लागू करतें हैं तों सेवाप्रदाता एजेन्सी उसी अनुरूप स्वयं कार्यवाही/लागू करेगी। इसमें कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी एवं इस हेतु अलग से सर्विस चार्ज का कोई भुगतान देय नहीं होगा।

44. उपलब्ध करवाये गये सुरक्षा प्रहरियों के आधार कार्ड की स्वप्रमाणित फोटो प्रतिलिपि सुरक्षा प्रभारी को उपलब्ध करवाना आवश्यक है।

45. सुरक्षा प्रहरी कार्य पर लगाये गये व्यक्तियों का सेवाप्रदाता एजेन्सी को उनका प्रमुख नियोक्ता (Principal employer) माना जावेगा। किसी भी प्रकार के सामान्य या न्यायिक विवाद के लिये सेवाप्रदाता एजेन्सी ही जिम्मेदार होगी।

46. सेवाप्रदाता द्वारा सन्तोषजनक सेवाएँ प्रदान न करवाने या सेवा प्रदान करवाने में असफल रहने की स्थिति में उनकी सेवायें निरस्त करते हुये कार्यसम्पादन राशि व रिस्क कवरेज राशि विश्वविद्यालय द्वारा जब्त करते हुये सेवाप्रदाता की रिस्क व कास्ट पर द्वितीय न्यूनतम दरदाता फर्म या अन्य एजेन्सी से सुरक्षा की वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जावेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी सेवाप्रदाता एजेन्सी की होगी।

47. सेवाप्रदाता को कार्य आदेश जारी होने पर जिस तिथि से सुरक्षा कार्य करवाया जाना है। उस तिथि से सुरक्षा प्रहरी सुरक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थानों पर लगाने आवश्यक होंगें अन्यथा प्रति दिवस प्रति पोईन्ट 1000/– जुर्माना किया जावेगा, जो सेवाप्रदाता के बिलों या कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि से वसूल किया जावेगा।

48. सेवाप्रदाता को प्रदाय की गई सेवा का भुगतान सुरक्षा प्रभारी के भौतिक सत्यापन एवं बिल प्रमाणीकरण उपरान्त देय होगा जिसमें संबंधित उपरोक्त अधिकारी की सिफारिश पर या नियमानुसार कोई कटौती बनती है तो यह कटौती कर भुगतान किया जावेगा।

49. विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय बिना परिचय पत्र या बिना र्निधारित गणवेश के कार्यरत सुरक्षा प्रहरी पर रू 100/– प्रति सुरक्षा कर्मी, प्रति दिन दण्डात्मक रूप में अनुमोदित फर्मो से वसूल किये जावेंगें।

50. किसी सुरक्षा प्रहरी के कार्य स्थल पर अनुपस्थित रहने या सोते हुये पाये जाने पर प्रति सुरक्षा प्रहरी, प्रति पारी (8 घंटे)न्यूनतम रू 1000/– दण्ड के रूप में सेवाप्रदाता से वसूल किये जावेंगें।

51. विश्वविद्यालय द्वारा अनुबंध बिना किसी कारण बताये भी निरस्त किया जा सकता है किन्तु ऐसी स्थिति में कार्यसम्पादन प्रतिभूति राशि लौटा दी जावेगी।

52. सेवाप्रदाता द्वारा दी जा रही सेवाओं का बिल प्रत्येक माह की 1 तारीख को संबंधित कार्यालय में जमा करवाना होगा, जिसका भुगतान कार्यालय द्वारा सेवाप्रदाता के बैंक खाते में होगा।

53. समस्त कानूनी कार्यवाही किसी भी पक्ष द्वारा किये जाने कि स्थिति में बीकानेर स्थित न्यायालय में ही प्रारम्भ करनी होगी, अन्य न्यायालय पर नहीं।

54. सेवा अनुबंध अवधि में किसी प्रकार के विधि वाद की समस्त जिम्मेदारी सेवाप्रदाता की होगी।

55. अनुबंध अवधि में अनुबंध पत्र में उल्लेखित शर्तो के साथ –साथ इस कार्यालय द्वारा जारी ई–निविदा सूचना सख्या 03/2025–26 (कमांक 107 दिनांक 08.09.2025) के सुरक्षा अनुबंध हेतु नियम व शर्तो, राज्य सरकार के द्वारा समय –समय पर जारी परिपत्र/आदेशों में उल्लेखित शर्तो तथा RTPP Rule – 2013 व RTPP Act- 2012 के अनुरूप सभी नियम, धाराएँ/उपधाराएँ लागू होंगी। जिसकी पालना सेवाप्रदाता एजेन्सी द्वारा आवश्यक रूप से करनी होगी।

वित्त नियंत्रक

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, कुलगुरु, राजूवास, को माननीय कुलगुरु महोदय के अवलोकनार्थ।
2. श्रीमान् कुल सचिव, राजुवास, बीकानेर।
3. कोषाधिकारी, राजुवास, बीकानेर।
4. नोडल ऑफिसर, एसपीपीपी/नीसाजीनेट, राजुवास, बीकानेर।
5. प्रभारी ,सुरक्षा व्यवस्था, राजुवास, बीकानेर।
6. समस्त अधिष्ठाता/निदेशक/प्रभारी/आहरण एवं वितरण अधिकारी...............
7. M/S Gajender Enterprises, Fatipura, Bhutton Ka Bas, Bikaner.

वित्त नियंत्रक

Annexure -I

सुरक्षा व्यवस्था हेतु सुरक्षा पोईन्ट निम्न प्रकार से हैः–

S.No.	Security area	No. of security point (approx,) for 24 hours
1	2	3
1.	College Dairy Campus complete including LRS, RKVY Rathi Cattle Project, Feed & Fodder stores, Cattle Feed Plant, Cows sheds, Milk Parler etc. and adjoining.	01
2.	Department of ABG, LPT, LPM, Animal nutrition, Obst. & Gynae . Clinic, COE, and adjoining areas.	01
3.	Department of Public Health, Surgery & Radiology, Obst& Gynae. , Vet. Medicine, Clinics, Extension, Incinerator room , Director Clinic, and adjoining areas.	01
4.	Department of Parasitology, Mohan Singh Lecture Theatre, Biochemistry, Pharmacology, Physiology Treasury Office, V.C. Secreteariat , IUMS , DEE office, Dean PGS office, DPME, college cash section & central store, Library, Library lecture Theatre & Vijay Bhawan Building, Workshop, Games & Sports , Gymnasium, Common room, Director Work, Eng. Technology centre, Pool Office and adjoining areas.	01
5	University Main Gate, Tennis Grounds, DSW,PRC, Landscape, national Flag, University Flag, VIP Guest House, Seminar Hall, Guest House, faculty House, Department of Pathology, B- Bock Quarters, Tube well, Gardens and adjoining areas.	01
6.	Vice- Chancellor Residence	01
7	Department of Microbiology , Apex centre , Central Air conditioner chiller plants, Generators, Auditorium and adjoining areas and College Main gate, flag Hosting ground & gardens and adjoining areas.	01
8.	Poultry Farm campus complete and adjoining areas.	01
9.	Girls Hostel Main gate , ADSW office, Department of Anatomy campus , Married Boys Hostel and adjoining areas.	01
10.	Inside Girls Hostel and adjoining areas.	01
11.	Savidhan Park, Sadul Sadan, Department of Animal Nutrition Lab, and Feed resource management centre, Museum, Hydroponics machine Comptoller Office, Registrar Office, Dean Chamber and PA Section, and adjoining areas.	01
12.	PG-I, ,Intern Hostel, Hostel Ground and adjoining areas.	01
13	PG-II, UG-II Hostels and adjoining areas.	01
14.	Inside UG-1Hostel and adjoining areas	01
15.	UG-I Hostel Main Entry Gate and adjoining areas	01
16.	RAJUVAS Residential Colony-I and adjonining area	01
17.	RAJUVAS Residential Colony-II and adjonining area	01
18	Skill development centre and Examination centre and Adjoining area	01
19	College of Dairy Science Technology Beechwal, Bikaner.	01
20	LRS Beechwal, Bikaner.	01
21	CVAS, Navania	06
22	CVAS, Jodhpur.	02
	Total	28

नोटः– उक्त सुरक्षा पोईन्ट एरिया में प्रभारी सुरक्षा द्वारा आवश्यकता होने पर कमी/वृद्वि की जा सकेगी।